# अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
## अंसारी नगर, नई दिल्ली
## (एसीआर प्रकोष्ठ)

फा.सं.1-1/2025-26/ई-ए.पी.ए.आर./स्था.-I दिनांक: 25.05.2026

**कार्यालय ज्ञापन**

**विषय : मूल्यांकन अवधि दिनांक 01.04.2025 से 31.03.2026 (2025-2026) के ई-ए.पी.ए.आर. फॉर्म को समय से जारी करने एवं संबंधित मूल्यांकन/रिपोर्टिंग/समीक्षा अधिकारी को अग्रेषित करने के संबंध में।**

दिनांक 29.01.2026 एवं 15.05.2026 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के अनुक्रम में और डीओपीटी के दिनांक 13.05.2026 के का.ज्ञा.सं. फा.21011/09/2026-पीपी(ए-।।) के अनुसरण में संकाय-सदस्यगणों सहित समूह 'क', 'ख' एवं 'ग' के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए रिपोर्टिंग वर्ष 2025-26 हेतु एपीएआर को पूरा करने की वर्तमान समय-सीमा को एक बार उठाए गए कदम के रूप में बढ़ाने का निर्णय लिया गया है इसकी संशोधित समय-सीमा निम्नानुसार है:-

| क्र.सं. | कार्य-विवरण | कार्य पूरा करने की तिथि | स्वत: अग्रेषित |
|---|---|---|---|
| 1. | संबंधित स्थापना अनुभाग द्वारा ई-ए.पी.ए.आर. फॉर्म के विधिवत रूप से भरे हुए भाग-। को अग्रेषित करना (अर्थात जिसमें स्व-मूल्यांकन किया जाना है वहां रिपोर्ट किए जाने वाले अधिकारी को तथा जिसमें स्व-मूल्यांकन नहीं किया जाना है वहां रिपोर्टिंग अधिकारी को अग्रेषित करना) | 1 अप्रैल, 2026 | - |
| 2. | जिस अधिकारी की रिपोर्ट की जानी है उसके द्वारा रिपोर्टिंग अधिकारी को स्व-मूल्यांकन जमा करना (जहां लागू हो)। | 15 जून, 2026 | 16 जून, 2026 |
| 3. | रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा समीक्षा अधिकारी को रिपोर्ट भेजना | 31 जुलाई, 2026 | 01 अगस्त, 2026 |
| 4. | समीक्षा अधिकारी द्वारा रिपोर्ट को पूर्ण किया जाना एवं प्रशासन अथवा ए.सी.आर. प्रकोष्ठ अथवा स्वीकृति प्राधिकारी (जो लागू हो) को रिपोर्ट भेजना | 31 अगस्त, 2026 | 01 सितम्बर, 2026 |
| 5. | स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन, जहां ऐसा प्रावधान हो या लागू हो | 30 सितम्बर, 2026 | 01 अक्तूबर, 2026 |
| 6. | (क) जहां स्वीकृति प्राधिकारी न हो, वहां रिपोर्टाधीन अधिकारी को ई-ए.पी.ए.आर. का प्रकटीकरण<br>(ख) जहां स्वीकृति प्राधिकारी हो, वहां रिपोर्टाधीन अधिकारी को ई-ए.पी.ए.आर. का प्रकटीकरण | 01 अक्तूबर, 2026<br>15 अक्तूबर, 2026 | |

| | | |
|---|---|---|
| 7. | ई-ए.पी.ए.आर. संबंधी यदि कोई अभ्यावेदन हो, तो उसका प्रस्तुतीकरण | एपीएआर के प्रकटीकरण की तिथि से 15 दिनों के भीतर |
| 8. | सक्षम प्राधिकारी को अभ्यावेदन का अग्रेषण<br>(क) जहां ई-ए.पी.ए.आर. हेतु स्वीकृति प्राधिकारी न हो<br>(ख) जहां ई-ए.पी.ए.आर. हेतु स्वीकृति प्राधिकारी हो | <br>21 अक्तूबर, 2026<br>06 नवम्बर, 2026 |
| 9. | सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभ्यावेदन का निपटान | सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभ्यावेदन की प्राप्ति से एक माह के भीतर |
| 10. | ए.सी.आर. प्रकोष्ठ द्वारा अभ्यावेदन पर सक्षम प्राधिकारी के निर्णय को सूचित करना | 15 दिसम्बर, 2026 |
| 11. | यदि कोई नया तथ्य नहीं जोड़ा जाता है/परिवर्तन नहीं होता है, तो उसके बाद ई-ए.पी.ए.आर. की संपूर्ण प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी तथा ए.पी.ए.आर. को अंतिम रूप से रिकार्ड में ले लिया जाएगा। | 31 दिसम्बर, 2026 |

2. सभी संबंधित संकाय सदस्यगण/अधिकारीगण/ कर्मचारीगण से अनुरोध है कि वे वर्ष 2025-26 की एपीएआर प्रक्रिया को समय से पूर्ण करने को सुनिश्चित करने हेतु उपर्युक्त समय-सीमा का सख्ती से पालन करें।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

**(अनिल कुमार)**
**वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी**

**वितरण:**

1. सभी संकायाध्यक्ष/सह संकायाध्यक्ष (शैक्षिक/अनुसंधान/परीक्षा)
2. सभी केन्द्र प्रमुखगण/विभागाध्यक्षगण/एककों/अनुभागों के प्रभारीगण
3. चिकित्सा अधीक्षक (मुख्य एवं डॉ. रा.प्र.केन्द्र)
4. वरिष्ठ वित्त सलाहकार/वित्त सलाहकार
5. अधीक्षण अभियंता
6. उप-सचिव/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी/सहायक प्रशासनिक अधिकारी
7. मुख्य परिचर्या अधिकारी/सभी परिचर्या अधीक्षक/उप परिचर्या अधीक्षक/सहायक परिचर्या अधीक्षक
8. सभी एसोसिएशन/यूनियन/संकायगण/अधिकारीगण/एम्स स्टाफ-सदस्यगण
9. सभी सूचना पट्ट
10. कंप्यूटर सुविधा, एम्स: **इसे एम्स के पोर्टल पर अपलोड करने एवं कन्टेंट प्रोवाइडर में परिचालित करने के अनुरोध सहित**
11. डॉ. ऐंजल राजन सिंह, अपर आचार्य, अस्पताल प्रशासन एवं संयोजक, पीएमयू: कृपया **उपर्युक्त परिपत्र के अनुसार समय-सारणी का पालन करें।**

**प्रतिलिपि:**

1. निदेशक/अपर निदेशक (प्रशासन) के प्रधान निजी सचिव/निजी सचिव।